

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

क्रमांक :-

दिनांक :- 29-8-2022

आदेश

प्रार्थी के खाता "दुरुस्ती प्रार्थना" पत्र पर तहसीलदार संगरिया के पत्रांक 1360 दिनांक 24.04.025 एवं अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ के पत्रांक 1593 दिनांक 04.08.025 की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पंचायत नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रविष्टि को 1 एमएमके की वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को, यदि किसी समक्ष न्यायालय का कोई स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	चक व खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	नाथवाना	चक 1 एमएमके खाता संख्या 24/10 व खाता संख्या 78/24 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074	प.न. 168/196 मु.न. 27 किला नं. 2/4/0.012, 3/2/0.025 एवं प.न. 168/196 मु.न. 27 किला नं. 1/2/0.025, 2/5/0.013 गै.मु.रास्ता	प.न. 168/196 मु.न. 27 किला नं. 2/4/0.012, 3/2/0.025 एवं प.न. 168/196 मु.न. 27 किला नं. 1/2/0.025, 2/5/0.013 गै.मु.खाला

नोट :-शेष प्रविष्टि यथावत रहेगी।



(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

दिनांक :- 29-8-2022

क्रमांक :- सम/

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. तहसीलदार संगरिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी

तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।



उपखण्ड अधिकारी
संगरिया